न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7/2015 (उदयपुर डिक्री)

परशराम पिता उदयलाल जी जाट, निवासी रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. चुन्नीाल पिता स्वर्गीय ठाकुर जी जाट, निवासी रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. उदयलाल पिता स्वर्गीय ठाकुर जी जाट, निवासी रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 28–01–2015 प्र.सं. 137/13

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हर्ष मेहता/पन्नालाल मारू अभिभाषक रे.सं.1

———::———

निर्णय **दिनांक 17–05–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूण्डेडा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित खाता संख्या 281 की कुल किता 13 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चुन्नीलाल पिता ठाकु जाट सा.दे के नाम दर्ज है एवं टिप्पणी में नामान्तरकरण संख्या 1169 बेचान से आराजी नंबर 1503 व 1512 किता 2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में चुन्नीलाल पिता ठाकु जी के बजाय उदयलाल मु. रूपा जाट सा.देह के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 1169 बेचान आराजी नंबर 1850 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा चुन्नीलाल पिता ठाकु के

बजाय उदयलाल मुत. रूपा जाट 1/3 के नाम दर्ज है, शेष 2/3 चुन्नीाल पिता ठाकु बदस्तूर दर्ज है।

इसी प्रकार खाता संख्या 292 की आराजी नंबर 1852 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में ताराचन्द पिता भूरा 2/3 व चुन्नीलाल पिता ठाकु 1/3 दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 568 से ताराचन्द के बजाय उदयलाल मुतबन्ना रूपा 1/3 दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। नामान्तरकरण संख्या 849 बेचान से आराजी नंबर 1852 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में चुन्नीलाल पिता ठाकु 1/3 के बजाय उदयलाल मुतबन्ना रूपा 1/3 दर्ज है।

इसी प्रकार खाता संख्या 345 की आराजी नंबर 381 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा में सवा, खुमा, गेहरीलाल, प्यारचन्द पिता चतरभुज चुन्नीलाल पिता ठाकु 1/3 ताराचन्द पिता भूरा 1/3 दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 568 से ताराचन्द के बजाय उदयलाल मुतबन्ना रूपा 1/3 दर्ज करने की स्वीकृति हुई है।

इसी प्रकार खाता संख्या 387 की 12 बीघा 2 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रूपा पिता धन्ना 1/4 के बजाय विरासत से उदयलाल मुतबन्ना रूपा जाट के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है।

वादी के परिवार का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष ठाकु जी की पत्नी दाखीबाई होकर दो पुत्र उदयलाल व चुन्नीलाल हुए, जिसमें से उदयलाल रूपा के गोद चला गया, जिसका पुत्र परशराम है। वादी परशराम की जन्म तिथि 07–08–1969 है, जबकि उदयलाल सन् 1972 में रूपा जी के गोद गये। इस प्रकार उदयलाल जी परशराम के जन्म के 3 वर्ष बाद रूपा जी के गोद गये, जिससे वादी का अपने दादा की सम्पत्ति में हक व हिस्सा है तथा वादी अपने 1/2 हिस्से का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पैत्रृक संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित भूमि है, किन्तु प्रतिवादीगण वादी को उसके हक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं तथा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी चुन्नीलाल ने अपने नाम कराकर नुमाईशी विक्रय पत्र से वाद पत्र की कलम नंबर 1 (क) की भूमि रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा प्रतिवादी उदयलाल के नाम करवा दिया है, जो वादी के मुकाबले शून्य व बेअसर है। उक्त भूमियां प्रतिवादीगण के नाम अंकित होने से वादी को बेदखल करने की धमकी देते

हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतएवं निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वणित आराजियात जो प्रतिवादीगण के नाम अंकित में, उसमें वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे व अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 04–09–2013 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपने आपको ठाकु जी का पौत्र बताता है तथा अपनी जन्म तिथि दिनांक 07–08–1969 होना बताकर उसके पिता उदयलाल जी को सन्1972 में रूपा के यहां गोद जाना बताता है। इस कारण उसके वाद का मुख्य आधार यह रहा है कि उसका जन्म उसके पिता के गोद जाने के तीन वर्ष पूर्व हुआ है, इसलिए उसका अपने दादा की सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादी द्वारा चाही गयी घोषणा विधि विरूद्ध होकर घोषणा का वाद विधि वर्जित है। यहां यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी का जन्म 07–08–1969 का है, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू हो चुका था, जिसके अनुसार सम्पत्ति का कन्सेप्ट ही समाप्त हो गया है। इस अधिनियम के प्रभावशील होने के बाद ही धारा 8 में पुत्र को अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार निहित होता है। इस मामले में वादी का जन्म न तो सन् 1956 से पहते हुए है, न ही स्वर्गीय ठाकु जी की मृत्यु 1956 से पहले हुई है। इस कारण वादी को स्वर्गीय श्री ठाकु जी की सम्पत्ति में किसी प्रकार भी स्वत्व पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा वादी का वाद विधि वर्जित होने से चलने योग्य नहीं है। वर्तमान समय में ऐसा कोई कानून प्रभावशील नहीं है जिसके आधार पर वादी को उसके दादा की सम्पत्ति में मौरूसी सम्पत्ति के आधार पर हक प्राप्त होता हो। इस कारण वादी को कोई वाद कारण ही पैदा नहीं होता है, जिससे वादी का वादी इसी आधार पर खारिज किया जावे।

उपरोक्त आवेदन का जवाब देते हुए वादी ने निवेदन किया कि कलम नंबर 2 में लिखा कि कलम नंबर 2 वाद पत्र में कई कथन है उसकी पुनरावृत्ति है, जबकि कलम नंबर 2 वाद पत्र में सजरा वर्णित है। इसलिए यह कलम गलत एवं विरोधाभाषी होने से स्वीकार नहीं है। जवाबदावा समयावधि में पेश नहीं किया गया है। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में दिनांक 17–12–2014 को प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवेदन आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 28–01–2015 से दादा की सम्पत्ति में पौत्र का अधिकार नहीं होना मानकर तथा वाद विधि वर्जित होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26–02–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री हर्ष मेहता एवं श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 वाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र से परे हटकर एवं उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों की सही विवेचना करने में त्रुटि की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 7 के तहत कृषि भूमि की घोषणा निषेधाज्ञा का वाद माननीय अधिनस्थ न्यायलय में ही पोषणीय है। जहां स्पेशल एक्ट के प्रावधान हैं वह जनरल एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आई कि विवादित भूमियां ठाकु जी की होकर ठाकु जी के पौत्र वादी का जन्म वर्ष 1969 में हुआ है तथा वादी का पुत्र उसके जन्म के 3 वर्ष बाद अर्थात 1972 में रूपा जी के गोद गया

एवं इस आधार पर वादी अपने चाचा चुन्नीलाल की सम्पत्ति में अपना 1/2 हिस्सा चाहता है एवं इसी कारण उसके द्वारा 1/2 हिस्से की खातेदारी हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में मूल प्रश्न यह है कि बकौल वादी/अपीलान्ट दादा की सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में पौत्र का हक हिस्सा होने की घोषणा विधिक रूप से की जा सकती है अथवा नहीं तथा प्रकरा में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत वादी का वाद उक्त आवेदन के तहत खारिज किया जा सकता है अथवा नहीं इस बाबत् वकील उभयपक्ष द्वारा व्यापक बहस की गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं :–

1. आर.बी.जे. (17) 2010 पेज 721, जिसमें यह अभिमत किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत पुत्र या पुत्री का हिस्सा उसके पिता के जीवनकाल में होगा अथवा नहीं इस बाबत् साक्ष्य लेकर ही निर्णय किया जाना चाहिए।
2. सिविल टाईम्स 2012 (2) राज. पेज 865, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि पिता के जीवनकाल में पैत्रृक सम्पत्ति में हक होने अथवा नहीं होने के बिन्दु का निर्धारण तकनी के आधार पर निर्णिय किया जाना चाहिए। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत ऐसे आवेदन का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए।
3. सिविल टाईम्स 2013 (2) राज. पेज 582, में यह वर्णित किया गया है कि साक्ष्यों के आधार पर तय होने वाले प्रकरणों में आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रकरण खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
4. डब्ल्यू.एल.सी. 2004 (राज.) यू.सी. पेज 393 में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वाद का निर्णय करने हेतु केवल वाद पत्र के कथनों पर ही विचार किया जाना चाहिए।
5. आर.एल.डब्ल्यू. 2012 (4) पेज 3371 में यह अभिमत लिया गया है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वादी द्वारा पेश शुदा अभिकथनों पर ही विचार करके ही आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत के

आवेदन को निर्णित करना चाहिए, न कि जवाबदावे के कथनों के आधार पर।

6. आर.बी.जे. (10) 2003 पेज 245 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोपाशनरी भूमि/मौरूसी भूमि में कोई भी पक्षकार अपने हिस्से से ज्यादा का विक्रय इकरार नहीं कर सकता।

7. सिविल टाईम्स 2010 (1) राज. पेज 400 में यह वर्णित किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों की विवेचना सही नहीं किये जाने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है।

8. आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 273, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 100 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि पैत्रृक सम्पत्ति में पिता के जीते जी दावा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

9. आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 256, ए.आई.आर. 2003 सुप्रिम कोर्ट पेज 759 में यह अभिमत व्यक्ति किये गये हैं कि दावे, जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर वाद तय किया जाना चाहिए, आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वाद खारिज नहीं किया जा सकता।

10. आर.एल.डब्ल्यू. 1992 (1) पेज 452, सिविल टाईम्स 2010 (1) राज. पेज 400, आर.आर.डी. 1978 पेज 375, ए.आई.आर 1976 सुप्रिम कोर्ट पेज 109 में यह अभिनिर्धारण किये गये हैं कि सहदायिकी की सम्पत्ति में पुत्र का जन्म से हक होता है।

इसी प्रकार वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं :–

1. ए.आई.आर. 1989 कर्नाटका पेज 45 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी के जन्म के पूर्व उसके पिता के गोद चले जाने का कोई महत्व नहीं होता।

2. ए.आई.आर. 2008 सुप्रिम कोर्ट पेज 1490 में यह वर्णित किया गया है कि हिन्दु संयुक्त परिवार की भूमि का विभाजन हो जाने के बाद संपत्ति का चरित्र संयुक्त सम्पत्ति के रूप में नहीं रहता।

3. ए.आर.आर. 2016 देलही पेज 120 में यह प्रतिपादित किया गया है कि वाद में यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि सम्पत्ति किस प्रकार से संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होकर वर्ष 1956 के पूर्व से संयुक्त परिवार की सम्पत्ति रही है तथा किस प्रकार पितामहों से चली आ रही है। यदि इस प्रकार का कोई वाद हेतुक वर्णित नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि वाद कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं करता एवं दावा खारिज किया जाना चाहिए।

4. ए.आई.आर. 2007 एन.ओ.सी. पेज 2117 में यह प्रकट किया गया है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में किसी पक्षकार को उसका हिस्सा प्राप्त हो जाने के बाद वह सम्पत्ति उसकी हो जाती है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने का चरित्र खो देती है। यह भी कथन किया गया है कि मरे हुए व्यक्ति के पुत्र का प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार का महत्व होगा तथा यह उत्तराधिकार पौत्र को अपवर्जित करते हुए मान्य होगा।

5. डी.एन.जे. 2016 सुप्रिम कोर्ट पेज 258 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मौरूसी सम्पत्ति का चरित्र विभाजन के बाद नहीं रह जाता है।

6. ए.आई.आर. 2007 एन.ओ.सी. पेज 2236 में यह वर्णित किया गया है कि यदि पिता द्वारा सम्पत्ति व्यक्तिगत क्षमता में अर्जित की गयी है तो पुत्र अथवा पुत्रियों को जन्म के कारण कोपार्शनर होने से अधिकार अर्जित नहीं होते।

7. ए.डी.आर. 2014 (1) पेज 330 में यह वर्णित किया गया है कि यदि हिन्दू परिवार का अस्तित्व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में आने से पहले का नहीं हो तो सम्पत्ति को कोपार्शनरी सम्पत्ति नहीं माना जायेगा।

8. ए.आई.आर. 2006 एन.ओ.सी. पेज 273 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह पूर्ण धारणा नहीं रखी जायेगी कि पिता द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति को संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति पुत्रों के साथ मानी ही जायेगी।

उपरोक्त समस्त न्यायिक नजीरों के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।
2. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहां यह दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है।
6. जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

उपरोक्त सभी न्यायिक नजीरों का विश्लेषण एवं परिशीलन करने के बाद सभी न्यायिक नजीरों के प्रति विनम्र सम्मान प्रकट करते हुए हमारा सुविचारित मत यह है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वाद खारिज किये जाने के लिए उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों के अनुसार वाद पत्र को ही देखा जाना चाहिए, जवाबदावे के कथनों को नहीं देखा जाना चाहिए। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों से यह भी स्पष्ट होता है कि साक्ष्यों के लिए मोहताज बिन्दुओं पर साक्ष्य लेकर ही निर्णय किया जाना चाहिए।

वकील वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों के अनुसार यदि वाद पत्र में विस्तृत वाद कारण वर्णित नहीं किया गया है तो ऐसे यकायक साक्ष्यों के आधार पर वाद का निर्णय नहीं किया जा सकता है। अर्थात वादी को वाद हेतुक स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिए, अन्यथा वाद खारिज किया जाना चाहिए।

प्रकरण में हमारे समक्ष मूल तथ्य यह हैं कि अपीलान्ट अपने दादा की सम्पत्ति में उसके जन्म के बाद पिता के गोद चले जाने के कारण सम्पत्ति में अपना हक होना बताता है तथा वह यह कहता है कि सम्पत्ति हिन्दू संयुक्त परिवार की है। इस प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद में विवादित सम्पत्ति ठाकु जी के समय की होना वर्णित करता है, परन्तु उक्त भूमि ठाकु की की मौरूसी हो अथवा उसके पूर्व से चली आ रही हो, ऐसे कोई तथ्य अपने वाद में वर्णित नहीं किये हैं। यह सुस्पष्ट होता है कि वादी द्वारा इस प्रकरण में ठाकु जी की सम्पत्ति होने से पौत्र होने के कारण अपना हक बताता है अर्थात वह अपने पिता के जीवनकाल में पिता के गोद चले जाने के कारण विवादित भूमि में अपना हक बताता है। स्पष्टतया वादी को इस प्रकरण में यह स्थापित करना था कि वादी ठाकु जी का पौत्र होने के कारण उक्त सम्पत्ति वर्ष 1956 के पूर्व से चली आने का वर्णन करना था। वादी द्वारा ऐसे कोई तथ्य वर्णित नहीं किये गये हैं जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि विवादित भूमियां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत वादी/अपीलान्ट के उत्तराधिकार धारण किये जाने योग्य भूमियां हों। वादी द्वारा जब अपने वाद पत्र में इस प्रकार के कोई कथन वर्णित नहीं किये गये हैं तो इससे पृथक साक्ष्य पेश नहीं किये जा सकते, तद्नुसार आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वादी को वाद पत्र को ही देखा जाकर प्रकरण का निर्णय किया जाना हो तो भी वादी का वाद न तो ऐसा कोई वाद हेतुक प्रकट करना है, जिससे उक्त सम्पत्तियों में उसका हक प्रकट होता हो तथा उन प्लीडिंग्स के आधार पर साक्ष्य ली जा सके।

द्वितीयता यह भी स्पष्ट होता है कि वादी विवादित सम्पत्तियों को ठाकु जी के समय की होना बताता है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता की सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में पौत्र का हक नहीं होता। अर्थात जब प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी उपलब्ध हो तो उस स्थिति में अन्य श्रेणियों पर विचार नहीं किया जा सकता। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट होता है कि वादी द्वारा अपने वाद में धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार अर्जित किये जाने के लिए ऐसा कोई स्पष्ट वाद हेतुक अपने वाद पत्र में वर्णित नहीं किया गया है, जिससे उक्त वाद को साक्ष्यों का मोहताज माना जा सके। द्वितीयता हिन्दू उत्तराधिकार

अधिनियम की स्पष्ट अवधारणा है कि धारा 8 के तहत दादा की सम्पत्ति में पिता के जीवित रहते पुत्र का हक नहीं होता।

उपरोक्तानुसार वाद पत्र के बरूऐ ही वादी का वाद कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है तथा वादी का वाद अपीलान्ट/वादी की प्लीडिंग्स के अनुसार भी धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधि वर्जित है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादी का वाद विधि वर्जित होने तथा वाद पत्र में वाद हेतुक भी दर्शित नहीं होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से **खारिज** की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–01–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–05–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

परशराम पिता उदयलाल जाट, निवासी रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर बनाम **चुन्नीलाल पिता स्व.ठाकुर जाट, नि0 रूण्डेडा, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**7/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**28**.....माह.....**01**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**17**.....माह.....**05**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री संजय बोहरा** ....मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री हर्ष मेहता/पन्नालाल मारू**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–01–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**17**.....माह.....**05**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।